

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

//अधिसूचना//

रायपुर, दिनांक 03 अगस्त, 2012.

क्रमांक 1238/680/2012/स्था./चार.: इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1086/एल 8-9/2011/वित्त/बजट-4, दिनांक 23.07.2011 के अनुसरण में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद् द्वारा, राज्य वित्त आयोग के कार्यकाल में दिनांक 01.08.2012 से 31.03.2013 तक वृद्धि करते हैं ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार


(सी.जे.खत्री)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ.क्र. 1239/680/2012/स्था./चार
प्रतिलिपि:-

रायपुर, दिनांक 03 अगस्त, 2012

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय ।
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर ।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, उच्च न्यायालय बोदरी, पोस्ट ऑफिस-हाई कोर्ट ब्रांच, बिलासपुर (छ0ग0) पिन कोड-495220 ।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग/लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग/राज्य सूचना आयोग, रायपुर ।
6. समस्त निज सचिव, माननीय मंत्री/राज्य मंत्रीगण छत्तीसगढ़, रायपुर ।
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
8. मुख्य सचिव के अवर सचिव, मंत्रालय, रायपुर ।
9. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय, रायपुर ।
10. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर ।
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली ।

12. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
13. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़ ।
14. आयुक्त, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
15. समस्त विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ ।
16. समस्त जिलाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ ।
17. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर ।
18. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, रायपुर/बिलासपुर/सरगुजा एवं बस्तर, छत्तीसगढ़ ।
19. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़ ।
20. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़ ।
21. संचालक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रायपुर
22. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ ।
23. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर की ओर वित्त विभाग की वेबसाइट **www.cgfinance.nic.in** में अपलोड करने हेतु ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।



(मुकुन्द गजभिये)

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वित्त विभाग

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
FINANCE DEPARTMENT
DAU KALYAN SINGH BHAWAN
MANTRALAYA, RAIPUR

// NOTIFICATION//

Raipur, dated 03 August, 2012

No.1238/680/2012/Estt./Four:: In pursuance of thid department's notification no. 1086/L8-9/2011/Finance/B-4, dated 23-07-2011, the Governor of Chhattisgarh, hereby, extends the tenure of State Finance Commission from 01-08-2012 to 31-03-2012.

By order and in the name of
Governor of Chhattisgarh



(C.J. Khatri)

Joint Secretary,
Finance Department